



2026:AHC:37248

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2498/2026

वारिस अली

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: आनंद मणि त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री गणेश पांडे को श्री आनंद मणि त्रिपाठी का संक्षिप्त विवरण देते हुए सुना, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लाने की मांग की, जिसमें प्रार्थना का अर्थ है,

(I) प्रतिवादी प्राधिकारियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट आदेश या निर्देश जारी करना, मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को ग्रेच्युटी भुगतान आदेश(जीपीओ) और कम्प्यूटेशन भुगतान आदेश (सीपीओ) की राशि 12,23,200 रुपये का भुगतान करना होगा/- और याचिकाकर्ता की बकाया राशि पर ब्याज सहित नियमित पेंशन का भुगतान भी करना,

(II) रिट आदेश या निर्देश, जिसकी प्रकृति को यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और उपयुक्त समझे,

(III) अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण याचिकाकर्ता के पक्ष में लागत का भुगतान करें तथा नया आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दें,

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. वर्तमान याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेते हुए **निरस्त** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”